फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ़

कल्याण बनाम राजस्थान सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष 3/2020 /20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/1/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस पूर्व सुनी गई तथा पत्रावली आज वास्ते आदेश में है। वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन उपरान्त वादी का वाद स्वीकार कर गैर खाता के ख.नं. 153, 630, 631, 635 में वादी का नाम काल्या पुत्र भूरा के स्थान पर कल्याण पुत्र भूरा घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत निर्णय डिक्री अलग से जारी की गई। शामिल मिसल की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर में जमा हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ, जिला जयपुर (राज0)

मुकदमा नम्बर 03 / 2020

कल्याण पुत्र भूरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
2. शिम्भू पुत्र भूरा
3. केसरी पत्नि धन्ना
4. फूलचन्द पुत्र धन्ना
5. छीतर पुत्र धन्ना
6. रामकरण पुत्र बिरदा
7. देवकरण पुत्र बिरदा
8. जयराम पुत्र बिरदा
9. श्रवण पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. वादी वकील श्री किशनलाल एडवोकेट
2. प्रतिवादी पेरोकर सरकार

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट

दिनांक 08–01–2021

निर्णय

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नं 630 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं. 631 रकबा 3.4700 हैक्टेयर, खसरा नं. 635 रकबा 1. 0700 हैटेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.6200 हैक्टेयर ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ मे स्थित है जो कि उक्त खातेदारी भूमियां मुझ वादी के पिता की सहखातेदारी की भूमि रही है तथा मेरे पिता भूरा पुत्र कजोड के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमियों का नामान्तकरण संख्या 709 के द्वारा मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता के नाम अमल दरामद हो चुका है लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात जब मेरे नाम से नामान्तकरण खोला गया तो कालू पुत्र भूरा के नाम से खोला गया जो कि गलत था जबकि मुझ वादी का वास्तविक नाम कल्याण पुत्र भूरा है जिसको दुरूस्त करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार जमवारामगढ से राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार जमवारामगढ से रिपोर्ट दिनांक 15–12–2020 को प्राप्त हुई । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमे वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 153 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नं 630 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं. 631 रकबा 3.4700 हैक्टेयर, खसरा नं. 635 रकबा 1.0700 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.6200 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कालू पुत्र भूरा दर्ज है यह कि वादी कल्याण पुत्र भूरा को गांव मे बोल चाल की भाषा मे कालू उर्फ कल्याण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

Scanned with CamScanner

के नाम से जाना जाता है तथा वादी के सरकारी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली के बिल आदि मे भी वास्तविक नाम कल्याण पुत्र भूरा के नाम से दर्ज हैं जिसको राजस्व रिकार्ड मे कालू पुत्र भूरा के स्थान पर कल्याण पुत्र भूरा शुद्ध किया जाना उचित बताया ।

प्रतिवादी संख्या 2,3,5, व 7 ता 9 स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 07–01–2021 को जवाब दावा प्रस्तुत कर उक्त वादी के नाम को कालू पुत्र भूरा के स्थान पर कल्याण पुत्र भूरा किया जाने हेतु सहमति व्यक्त की है ।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई तथा तहसीलदार जमवारामगढ से प्राप्त रिपोर्ट व प्रतिवादीगण का जवाब एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी खसरा नम्बर 153 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नं 630 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नं. 631 रकबा 3.4700 हैक्टेयर, खसरा नं. 635 रकबा 1.0700 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.6200 हैक्टेयर मे वादी अपना नाम कालू पुत्र भूरा के स्थान पर कल्याण पुत्र भूरा घोषित करवाना चाहता है जो न्याय संगत है। अतः ग्राम ताला के खसरा नम्बरो मे 153,630,631,635 मे वादी का नाम कालू पुत्र भूरा के स्थान पर कल्याण पुत्र भूरा घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08–01–2021 को खुले इजलाश में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इतलाई (फार्म 18-21)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जिला जयपुर
बइजलास श्री विश्वमित्र मीना आर. ए. एस.
वाद अन्तर्गत धारा 89 आर.टी. एक्ट.

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
03/2020	08-01-2020	08-01-2021

उनवान

कल्याण पुत्र भूरा जाति कुम्हार निवासी ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
2. शिम्भू पुत्र भूरा
3. केसरी पत्नि धन्ना
4. फूलचन्द पुत्र धन्ना
5. छीतर पुत्र धन्ना
6. रामकरण पुत्र बिरदा
7. देवकरण पुत्र बिरदा
8. जयराम पुत्र बिरदा
9. श्रवण पुत्र लक्ष्मण

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट

उपस्थित

1. वादी वकील श्री किशनलाल बैरवा एडवोकेट
2. प्रतिवादी पेरोकर सरकार

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट

मुकदमा नम्बर 03/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री विश्वामित्र मीना आर. ए. एस. व हाजिरी श्री किशनलाल बैरवा एडवोकेट मिनजाबित मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ताला के खसरा नम्बर 153, 630, 631, 635, कुल किता 4 कुल रकबा 4.6200 हैक्टेयर मे वादी का नाम कालू पुत्र भूरा के बजाय कल्याण पुत्र भूरा घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मेरे दस्तखत एवं मोहन से आज दिनांक 08-01-2021 को जारी की गई

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

(मोहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ)

मिलान स्टाप अर्जी दावा			मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प बजूहस्बूत			स्टाम्प बजूहस्बूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
बबतहजराय			बबतहजराय		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक जमवारामगढ

(मोहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ जयपुर)

Scanned with CamScanner